

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

L/14149/2024

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक: 5005

/ 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, अप्रैल 05/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय:- कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1419/12-1 दिनांक 09.01.2024.
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में चाही गयी सूचना प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली द्वारा अपने पत्र सं० 333/36सी० दिनांक 27.02.2024. से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित किया गया है:-

क्र.सं.	प्रस्ताव में चाही गयी सूचना	आख्या
1	प्रस्तावित मोटर मार्ग में कोई स्थाई/अस्थायी भू-चिन्हांकन, पिलरबन्दी नहीं की गई जिससे प्रभावित होने वाले वृक्षों की वास्तविक सं० का पता नहीं लग रहा है इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में भू-चिन्हांकन व पिलरबन्दी कराने हेतु प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करे ताकि वास्तविक रूप से प्रभावित वृक्षों की सं० पता लगे व कम से कम वृक्षों की क्षति हो। उक्तानुसार भू-चिन्हांकन व पिलरबन्दी उपरान्त प्रभावित वृक्षों की सूची पुनः प्रस्तुत करे तथा वैकल्पिक संरक्षण का भी पुनः परीक्षण करे।	प्रस्तावक विभाग, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण विभाग थराली के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग का लेवल पिल्लर एवं बैक कटिंग पिल्लर 25-25 मी० दूरी पर बना दिये गये हैं।
2	प्रत्येक पिल्लर का क्रमांक सहित प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण प्रस्तावक विभाग तथा वन विभाग द्वारा निम्न प्रकार संधारित किया जाय। (क) प्रस्तावक विभाग 25मी० की दूरी पर प्रत्येक पिल्लरों का रिकार्ड रखेगा, जिसमें ढाल तथा पिल्लर की दूरी अवश्य अंकित की जाय। (ख) वन विभाग प्रत्येक पिल्लर के मध्य प्रभावित होने वाले वृक्षों (प्रजातिवार, व्यास वर्गवार) भूमि (आरक्षित सिविल पंचायती नाप) का पूर्ण विवरण संधारित करेंगे।	प्रत्येक पिल्लर पर क्रमांक सहित x-s.no अंकित कर दिये गये हैं।
3	पूर्व में थराली से वाण लगभग-52किमी० की सड़क पूर्व से निर्मित हो रखी है तथा उक्त स्थल से दिदिना की दूरी लगभग 5किमी० बताया गया है प्रस्तावित मार्ग का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत किया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि कुलिंग से दिदिना की पैदल दूरी 5किमी० है एवं उक्त मोटर मार्ग की रोड से दिदिना की दूरी 9.5किमी० प्रस्तावित है।
4-	प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 9.5 किमी० में प्रस्तावित की गई है जबकि दिदिना तक की दूरी 5 किमी० बतायी गयी है उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई को न्यून करने पर विचार किया जाय।	प्रस्तावित मोटर मार्ग का अन्य विकल्प न होने के कारण मोटर मार्ग की लम्बाई 9.50 किमी० में प्रस्तावित है।
5-	प्रस्ताव के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 132 वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे, जबकि प्रभावित होने वाले वृक्षों के विवरण में बांज प्रजाति के 134 वृक्ष अंकित किये गये हैं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करे।	उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि प्रस्तावित संरक्षण में पुनः वृक्षों की गणना करने पर कुल 194 वृक्ष बांज के प्रभावित हो रहे हैं।
6-	प्रस्ताव में न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने के प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जाय कि प्रभावित वृक्षों में से कितने वृक्षों का पातन किया जायेगा।	892 वृक्षों का पातन किया जाना है जिसका उल्लेख प्रस्ताव के प्रपत्र सं० 2.18 में अंकित कर दिया गया है।
7-	प्रस्ताव में भू-वैज्ञानिक आख्या संलग्न नहीं की गयी है	प्रस्ताव में भू-वैज्ञानिक आख्या संलग्न कर दी गयी है।
8-	प्रस्ताव में कतिपय प्रपत्र पठनीय नहीं है तथा उनमें सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का नाम/मुहर भी नहीं है। अतः पूर्ण प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए पठनीय प्रपत्र सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नाम/मुहर सही करवाए।	प्रस्ताव में बिन्दु सं० 8 का निराकरण कर दिया गया है।
9-	प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण हेतु 0.190 है० आरक्षित वन भूमि व 0.207 है० सिविल वन भूमि में लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित करना है कि मलवा निस्तारण स्थल वन भूमि से अन्यत्र भूमि में लिया जाय।	मलवा निस्तारण हेतु ग्राम कुलिंग से दिदिना के मध्य कोई भी नाप भूमि उपलब्ध नहीं है।

/14149/2024

10-	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं० FC-11/43/2021-एफ0सी0 दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। (a) In respect of linear project the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022 will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans whichever's is more should be charge from the user agency. (b) The provisions of wildlife management plan and soil moisture conservation plan shall be approved by the competent authority in the state and accordingly the deficit amount if any from the money already realized from to the tune of 2% and or 0.35% of project cost proportionate to the extent of forest land involved shall be paid by the user agency and the same shall be deposited in to the CAMPA account.	वन्यजीवों का प्रबन्धन एवं मृदा जल संरक्षण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
11-	प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है कि सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग के स्तर से पूर्व में स्वीकृत वनभूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष कोई भी देनदारी लम्बित नहीं है।	लोक निर्माण विभाग थराली द्वारा पूर्व में स्वीकृत भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष बढ़ी हुई एन0पी की धनराशि जमा की जानी है।
12-	प्रस्ताव में लाभान्वित गांव दिदिना में परिवारों की सं० 49 जिनकी जनसंख्या 244 अंकित की गयी उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाय की वर्तमान समय में गांव में कितने परिवार व कितनी जनसंख्या निवास करते है व कितने परिवार व जनसंख्या पलायन कर चुकी है का विवरण देने हुए परिवारों की संख्या व जनसंख्या का स्रोत भी दिया जाय।	वर्तमान समय में कुलिंग दिदिना में 82 परिवार पति में अंकित है जिसकी आबादी 330 है तथा सरकार 65 परिवार को दिदिना में विस्थापित किया गया जिसमें से 8-10 परिवार बाहर पलायन कर चुके है।

अतः आपसे अनुरोध है उक्त प्रकरण में अपने स्तर से वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- प्रस्ताव की 03 प्रतियां।

भवदीय,
Signed by Servesh Kumar

Date: 05-04-2024, 12:40:31
(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक:- 5005 / 121 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, चमोली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।


(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रारूप -20.1


जना का नाम:-कुलिंग दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का सांरांश

क0 सं0	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि (पिण्डरपार चतुर्थ क.न. 6)	34	36	46	48	27	13	6	12	4	5	231
2	सिविल भूमि (कुलिंग सिविल)	118	158	174	77	53	32	18	10	6	14	660
3	संरक्षित भूमि			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वन पंचायत			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	वन भूमि का योग			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	नाप भूमि			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	कुल योग			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				220	125	80	45	24	22	10	19	891


ह0/-

वन क्षेत्र अधिकारी
पूर्वी पिण्डर राजि, देवाल


प्रयत्नीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
जोपेश्वर

प्रारूप -22

परियोजना का नाम- कुलिंग सिदिना गोट्टर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र


प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनोंक का स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	वन ब्लॉक / कम्पाट मेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग											
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग	
1	आरक्षित वन भूमि	पिण्डरपार चतुर्थ क.न. 6	बांज	Quercus leucotrichophora	0	3	4		5	3	1				1	17
2	सिविल भूमि	कुलिंग सिविल	बांज	Quercus leucotrichophora	48	41	36	16	13	9	5	2	2		5	177
3	वन पचायत	-	-	-												0
4	संरक्षित भूमि	-	-	-												0
5	योग भूमि	-	-	-												
6	नाप भूमि	-	-	-												
		कुल योग			48	44	40	16	18	12	6	2	2		6	194

उक्तानुसार गणना किये गये बांज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

ह०/-

वन संरक्षक


प्रादेशिक वनाधिकारी
बन्दीनाथ वन प्रभाग
इलाहाबाद


वन क्षेत्राधिकारी
पूर्वी पिण्डर टाजि, देवाल


प्रारूप -21


परियोजना का नाम:-कुलिंग दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से कोटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से कोटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1	आरक्षित वन भूमि (पिण्डरपार चतुर्थ क.न. 6)	231	231	-
2	सिविल भूमि (कुलिंग सिविल)	660	660	-
3	संरक्षित भूमि			
4	वन पंचायत			
5	वन भूमि का योग			
6	नाप भूमि			
7	कुल योग		891	
		891	891	

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी


ह०/-
राजि अधिकारी



प्रभागिय वनाधिकारी
प्रभागिय वनाधिकारी
प्रभागिय वन प्रभाग
श्री गोपेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
पूर्वी पिण्डर वन क्षेत्र अधिकारी

		खरसू	<i>Quercus imecarpifolia</i>			1							1	2
		उत्तीस	<i>Imms nepalensis</i>	1	4	5	6	4	1		1	3		25
		वांज	<i>Quercus leucotrichophora</i>	48	41	36	16	13	9	5	2	2	5	177
		दुराश	<i>Rhododendron arboreum</i>	39	68	86	35	21	13	7	7	1	4	281
		योग:-		118	158	174	77	53	32	18	10	6	14	660
	वन पंचायत													0
	संरक्षित भूमि													0
	योग भूमि													
	नाप भूमि													
	कुल योग			152	194	220	125	80	45	24	22	10	19	891

उक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


 80/-
 राजि अधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
पूर्वी पिण्डर राजि, देवाल


प्रभारी वन अधिकारी
बुद्धिनाथ वन प्रभाग
बोपेश्वर

		30-40	6	985	5910
		40-50	4	2005	8020
		50-60	1	3940	3940
		70-80	1	6984	6984
		80-90	3	7737	23211
7	खर्सू	20-30	1	376	376
		90 Over	1	10028	10028
8	चेरड	10-20	1	143	143
		20-30	5	287	1435
		30-40	1	698	698
		40-50	3	1128	3384
		50-60	1	1396	1396
9	देवदार	0-10	3	322	966
		10-20	3	940	2820
10	लोदिया	20-30	1	287	287
		90 Over	1	3223	3223
11	सौड	90 Over	1	3223	3223
12	कांचुला	10-20	1	806	806
		30-40	1	4836	4836
		40-50	1	8113	8113
13	सुरई	0-10	1	134	134
		10-20	1	233	233
		20-30	1	322	322
		योग सिविल	659		517866
		सम्पूर्ण कुल योग	891		750415

ह०/-
 रेंज अधिकारी
 वन क्षेत्राधिकारी
 पूर्वी पिण्डर राजि, देवाल

पञ्जाबी वनाधिकारी
 सदीनाथ वन प्रभाग
 लादेवर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 333/36C

दिनांक 27/02/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं०- FPIUK/ROAD/145990/2021/

सन्दर्भ:- आपका कार्यालय का पत्रांक सं० 3946/12-1 दिनांक 08.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव आपत्तियों के निराकरण हेतु इस खण्ड को वापस लौटाया गया है, जिसके अनुपालन में निम्नलिखित आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार निम्नत है।

क्रम सं०	प्रस्ताव में कमियाँ	निराकरण
1	प्रस्तावित मोटर मार्ग में कोई स्थाई/अस्थायी भू-चिन्हांकन,पिलरबन्दी नहीं की गई जिससे प्रभावित होने वाले वृक्षों की वास्तविक सं० का पता नहीं लग रहा है। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में भू-चिन्हांकन व पिलरबन्दी कराने हेतु प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करें ताकि वास्तविक रूप से प्रभावित वृक्षों की सं० पता लगे व कम से कम वृक्षों की क्षति हो। उक्तानुसार भू-चिन्हांकन व पिलरबन्दी उपरान्त प्रभावित वृक्षों की सूची पुनः प्रस्तुत करें तथा वैकल्पिक संरक्षण का भी पुनः परीक्षण करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग लेबिल पिलर एवं बैंक कटिंग पीलर 25-25 मी० दूरी पर बना दिये गये है।
2	प्रत्येक पिलर का क्रमांक सहित प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण प्रस्तावक विभाग तथा वन विभाग द्वारा निम्नप्रकार संधारित किया जाए। (क) प्रस्तावक विभाग 25 मी० की दूरी पर प्रत्येक पीलरों का रिकार्ड रखेगा जिसमें ढाल तथा पिलर की दूरी अवश्य अंकित की जाए। (ख) वन विभाग प्रत्येक पिलर के मध्य प्रभावित होने वाले वृक्षों(प्रजातिवार, व्यास वर्गवार) भूमि (आरक्षित सिविल पंचायती नाप) का पूर्ण विवरण संधारित करेंगे।	प्रत्येक पिलर पर क्रमांक सहित Xs.No. अंकित कर दिए गये है।
3	पूर्व में थराली से वाण लगभग 52 किमी० की सड़क पूर्व से निर्मित हो रखी है तथा उक्त स्थल से दिदिना की	कुलिंग से दिदिना की पैदल दूरी 5 किमी० है एवं उक्त मोटर मार्ग की रोड से

पंजी. सं. 5887

फाइल सं. 121

दिनांक 13/03/2024

व्यक्त - बद्रीनाथ वन प्रभाग

कृपया आवश्यक कार्यवाही कर
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

	दूरी लगभग 5 किमी० बताया गया है प्रस्तावित मार्ग का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत किया जाए।	दिदिना की दूरी 9.5 किमी० प्रस्तावित है।
4	प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 9.5 में प्रस्तावित की गई है जबकि दिदिना तक की दूरी 5 किमी० बतायी गई है उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई को न्यून करने पर विचार किया जाए।	प्रस्तावित मोटर मार्ग का अन्य विकल्प न होने के कारण मोटर मार्ग की ल० 9.50 किमी० में प्रस्तावित है।
5	प्रस्ताव के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 132 वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे जबकि प्रभावित होने वाले वृक्षों के विवरण में बांज प्रजाति के 134 वृक्ष अंकित किये गये हैं कि सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्ताव के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में टंकण त्रुटिवश 132 वृक्ष बांज प्रजाती के अंकित किये गये हैं जो वास्तविक में 134 वृक्ष हैं प्रस्ताव के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में सही कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने के प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जाए की प्रभावित वृक्षों में से कितने वृक्षों का पातन किया जायेगा।	548 वृक्षों का पातन किया जाना है जिसका उल्लेख प्रस्ताव के प्रपत्र सं० 2.18 में अंकित कर दिया गया है।
7	प्रस्ताव में भू-वैज्ञानिक आख्या संलग्न नहीं की गई है।	प्रस्ताव में भू-वैज्ञानिक आख्या संलग्न कर दी गयी है।
8	प्रस्ताव में कतिपय प्रपत्र पठनीय नहीं है तथा उनमें सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का नाम/मुहर भी नहीं है। अतः पूर्ण प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए पठनीय प्रपत्र सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नाम/मुहर सही करवाए।	प्रस्ताव में बिन्दु सं० 8 का निराकरण कर दिया गया है।
9	प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण हेतु 0.190 हे० आरक्षित वन भूमि व 0.207 हे० सिविल वन भूमि में लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित करना है कि मलवा निस्तारण स्थल वन भूमि से अन्यत्र भूमि में लिया जाए।	मलवा निस्तारण हेतु ग्राम कुलिंग से दिदिना के मध्य कोई भी नाप भूमि उपलब्ध नहीं है।
10	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं० FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। a- In respect of linear projects the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and soil and moisture conservation plan as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022 will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans whichever is more should be charge from the user agency.	वन विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना है।

	<p>b- The provisions of Wildlife Management Plan and soil moisture conservation plan shall be approved by the competent authority in the state and accordingly the deficit amount if any from the money already realized from to the tune of 2% and or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved shall be paid by the user agency and the same shall be deposited in to the CAMPA account.</p>	
11	<p>प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है कि सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग के स्तर पर पूर्व में स्वीकृत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष कोई भी देनदारी लम्बित नहीं है।</p>	<p>वन विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना है।</p>
12	<p>प्रस्ताव में लाभान्वित गांव दिदिना मे परिवारों की सं० 49 जिनकी 244 अंकित की गई उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाए की वर्तमान समय में गांव में कितने परिवार व कितनी जनसंख्या निवास करते है व कितने परिवार व जनसंख्या पलायन कर चुकी है का विवरण देने हुए परिवारों की संख्या व जनसंख्या का स्रोत भी दिया जाए।</p>	<p>वर्तमान समय में कुलिंग दिदिना में 82 परिवार पंजिका में अंकित है जिसकी आबादी 330 है तथा सरकार द्वारा 65 परिवार को दिदिना में विस्थापित किया गया है। जिसमें से 8-10 परिवार बाहर पलायन कर चुके है।</p>

संलग्न:- 1. वन भूमि प्रस्ताव 4 न० प्रतियों में।

(3) 27-2-24
 अधिशासी अभियन्ता
 नि०ख० लो०नि०वि०
 थराली चमोली

पत्रांक /36 सी०

दिनांकित / /

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता द्वितीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रतिलिपि:- खण्डीय अमीन/कनिष्ठ अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
 नि०ख० लो०नि०वि०
 थराली चमोली।